न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्याः– 68/2016
उनवानः–

1. नबाब पुत्र सकूरी जाति भाड निवासी जमुना बृज नगला फूतरी नई आबादी आगरा
2. छोटे पुत्र सकूरी । जाति भाड शीतल खां गली नम्बर 7 सद्दीक परचुने वाले
3. राजू पुत्र सकूरी । फिरोजाबाद तहसील व जिला फिरौजाबाद
4. रहीसी पुत्री सकूरी पत्नि आविद । जाति भाड निवासी विलास खां मौहल्ला
5. रस्सो वेवा सकूरी जाति भाड । भाडेर जिला दतिया (म.प्र.)
   निवासी शीतल भां गली नं. 7 ।
   सद्दीक परचुने वाले फिरोजाबाद
6. सुज्जा पुत्र खचेरा पत्नि मौहम्मद जाति भाड निवासी भाडो वाली गली अहीर टोला जसबन्त नगर तहसील व जिला इटावा (उ0प्र0)——————————————वादीगण

बनाम

1. दीपक पुत्र विनोद शंकर जाति ब्राम्हण निवासी मौहल्ला खिडकी पुराना शहर धौलपुर
2. श्यामादेवी पत्नि विनोद शंकर
3. राजीव । पिसरान ओमप्रकाश जाति माथुर वैश्य निवासी पुराना शहर धौलपुर
4. विवेक । तहसील व जिला धौलपुर
5. रामखिलाडी ।
6. शंकर । पिसरान आछेलाल जाति कुम्हार निवासी पुराना शहर तहसील
7. हरीसिंह । तहसील व जिला धौलपुर
8. भगवानसिंह ।
9. बीधा पुत्र सिविया जाति कुम्हार निवासी कुम्हार पाडा धौलपुर
10. राजेन्द्र पुत्र प्यारे । जाति कुम्हार निवासी महात्मानंद की वगीची के पास
11. कुन्दन पुत्र प्यारे । कुम्हार पाडा पुराना शहर धौलपुर
12. रामजीलाल पुत्र मूलाराम जाति प्रजापति निवासी वेदलपाडा सरमथुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
13. नगरपालिका मण्डल धौलपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल धौलपुर
14. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर——————————————प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज
स्थायी निषेधाज्ञा,
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
व प्रा.पत्र आदेश 14 नियम 2(11) जा.दी.

उपस्थितिः– श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट अप्रार्थी/वादी की ओर
श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7,8 व 12 की ओर से
श्री योगश शर्मा एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2
श्री जयसिंह परमार एडवोकेट नगर परिषद् धौलपुर की ओर से

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

दिनांकः—28.06.2019

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा इश्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 382, 383, 384, 397, 398, 399, 400, 401 व 402 वाके ग्राम फतिहाबाद तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है। उक्त आराजी के खुदावक्श बल्द दिलुआ व खचेरा पुत्र मटरूशाह कौम भाड व हिस्सा बराबर गैर खातेदार काश्तकार थे। खुदाबक्श व खचेरा अनुसूचित जाति के सदस्य थे उनकी आराजी का हस्तान्तरण नही किया जा सकता परन्तु वन्दोवस्त विभाग ने बिला किसी सक्षम अधिकारी के आदेश विवादित आराजी विनोद शंकर पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राम्हण निवासी मौहल्ला खिडकी पुराना शहर धौलपुर को खातेदार अंकित कर दिया। विनोद शंकर ने गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण को विक्रय/वसीयतनामा कर दिया। उक्त इन्द्राजात को गलत बताते हुए वादीगण ने खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 7,8 व 12 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया है कि मौजूदा वाद की विवादित आराजी की 90बी कार्यवाही होकर नगर परिषद् धौलपुर के नाम रिकॉर्ड में वर्तमान इन्द्राज हो रहे है तथा स्वंय वादीगण द्वारा मद नं. 13 में कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 482 चार सौ वियासी ग्राम फतेहाबाद धौलपुर 90बी एलआर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही होने से पक्षकार बनाये जाने का कथन किया गया है वर्तमान वाद नगर पालिका मण्डल धौलपुर जरिये अध्यक्ष प्रकरण में पक्षकार मुकदमा होकर नगर परिषद् धौलपुर के विरूद्ध पेश किया गया है लेकिन नगर पालिका अधिनियम की धारा 271 के तहत ऐसे प्रकरण जिनमे नगर पालिका पक्षकार को बिना नोटिस 2 माह का दिये किसी भी प्रकार पोषणीय नही है। जोकि एक आज्ञापक प्रावधान है। जिससे वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। यह कि विवादित आराजी वर्तमान एलआर एक्ट के तहत 90 बी कार्यवाही होकर मौके पर करीब 80 मकान बने होकर लोगबाग रिहायश कर रहे है। ना ही 90 बी के म्यूटेशन से 442 को मौजूदा प्रकरण में चैलेन्ज किया गया है। इसलिए राजस्व न्यायालय को प्रकरण का श्रवणाधिकार नही है वर्तमान में भूमि आबादी में दर्ज है व मौके पर उपयोग भी आवासीय रूप में हो रहा है। इसलिए मौजूदा वाद का श्रवणाधिकार सिविल कोर्ट को है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के म्यूटेशन को शून्य एंव प्रभावहीन होने का कथन किया है जबकि उनके हक में हुए वयनामों को शून्य एंव प्रभावहीन होने की प्रार्थना नही की है। तब तक म्यूटेशनो का शून्य एंव प्रभावहीन होने का दावा पोषणीय नही है। मौके पर वादीगण का कोई कब्जा नही होने से तथा कब्जा वापिसी की प्रार्थना नही होने से भी मौजूदा वाद पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार पक्षकार है जाकि प्रकरण में औपचारिक पक्षकार नही है प्रतिवादी बनाया गया है लेकिन धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दावा दायरी से पूर्व नही दिया गया है। ना ही धारा 80(2) सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत किसी प्रकार की छूट प्राप्त की गई है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के अलावा अन्य काफी मकान जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से भूखण्ड क्रय किया जाकर करीब 80 लोगो के मकान बने हुए है और वर्तमान में मय परिवार के निवास कर रहे है। जो कि मौजूदा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

का दोष है। अतः दावा वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बराये बदनीयती, दुर्भावनापूर्वक, गलत तथ्यो के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही को जान–बूझकर देरीना करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। धारा 271 नगर पालिका अधिनियम के आधीन नोटिस दिया जाने का कोई प्रावधान नही है। नगर परिषद् धौलपुर को नोटिस देने की आपत्ति वर्तमान प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण करने के अधिकारी नही है। नोटिस की आपत्ति नगर परिषद् धौलपुर ने अपने जवाब दावा में की है नगर परिषद् धौलपुर के जवाब दावा की आपत्ति पर प्रतिवादी नगर परिषद् धौलपुर को अपने अधिवक्ता श्री सुरेश कटारा एडवोकेट के माध्यम से दिनांक 12.04.11 को प्रेषित किया है। जिसका कोई जवाब नगर परिषद धौलपुर ने नही दिया है। नोटिस देना अज्ञापक नही है प्रकियात्मक है। वादी ने धारा 90बी एलआर एक्ट की कार्यवाही से पूर्व के इन्द्राजो को आक्षेपित किया है तथा मूल अनुतोष स्वत्व घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का है धारा 90बी एलआर एक्ट की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही भी समरी कार्यवाही है जिससे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा है तथा मूल अनुतोष स्वत्व घोषणा का चाहा है। कब्जा का विवाद विधि एंव तथ्य का प्रश्न है जो साक्ष्य के बाद ही तय होगा। यह कि राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर पक्षकार नही है बल्कि राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर पक्षकार बनाया है जिसके लिए नोटिस 80 सीपीसी को प्रेषित किया जाना आवश्यक नही है। वादीगण ने वर्तमान वाद राजस्व अभिलेख के इन्द्राजो के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है मोजूद लोगो के जो मकान बने है वह मूल प्रतिवादीगण के ऐजेन्ट है तथा प्रतिवादीगण के फुट–स्टेप पर है इसलिए वर्तमान वाद के लिए आवश्यक पक्षकार नही है। दावा वादीगण विधि से वाधित नही है और पोषणीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण निरस्त किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2(11) जा.दी. के तहत इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में लिखित कथनो को दृष्टिगत रखते हुए तनकीयात न्यायालय श्रीमान द्वारा विरचित कर दी गई है। तनकी संख्या 5 व तनकी संख्या 6 विधि विवाधक है जो न्यायालय श्रीमान की क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित है। क्षेत्राधिकारिता से संबधित विधि विवाधकों का प्रारम्भिक रूप से निर्णय किया जाना कानूनन आवश्यक एंव न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तनकी संख्या 5 व 6 को प्रारंभिक विवाधक के रूप में निर्णीत किया जावे। वादी/अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तनकी नं. 5 व 6 के तथ्य एवं विधि मिश्रण तनकीयात है जो साक्ष्य के वाद ही निर्णीत की जा सकती है। न्यायालय श्रीमान द्वारा तनकीयात कायम के बाद दावा साक्ष्य हेतु नियत किया गया था और साक्ष्य वादी में शपथ पत्र मुख्य परीक्षा वादी ने प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पोषणीय नही है। वयनामा प्रतिवादी शून्य है इसलिए राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र केवल वाद को देरीना करने के लिए प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्रो पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7, 8 व 12 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी की 90बी कार्यवाही हो चुकी है। तथा वर्तमान में विवादित आराजी नगर पालिका धौलपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर आबादी बसी हुई है। अतः न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। प्रकरण में वादीगण द्वारा नगर पालिका को आवश्यक पक्षकार बनाया गया। वादीगण के द्वारा दावा दायरी से पूर्व नगर पालिका अधिनियम के तहत 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया है ना ही दावा में 80 सीपीसी के नोटिस दिये जाने से किसी प्रकार की छूट की मांग की गई है। विवादित आराजी पर वर्तमान में वादीगण का कोई कब्जा नही है। अतः दावा वादीगण विधि से बाधित होने एंव न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार ना होने के कारण खारिज किया जावे। कानूनी नजीर आरआरटी 2010(1) पेज 124, आरआरटी 2016(1) पेज 352, डीएनजे 2013(1) राज. पेज 358, डीएनजे 2012(2) राज. पेज 822 आरआरटी 2013(2) पेज 808, आरआरडी 2000 राज. पेज 483, आरआरडी 1972 पेज 245 पेश किये।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी 5 व 6 विधि विवाधक (Legal Issue) है। वाद के किसी भी स्टेज पर कानूनी बिन्दु को सर्वप्रथम निर्णीत किया जाना विधि संगत एंव न्यायोचित है। विवादित आराजी की 90बी की कार्यवाही हो चुकी है तथा भूमि वर्तमान में नगरपालिका धौलपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी आबादी भूमि होने के कारण न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। 90बी की कार्यवाही को संभागीय आयुक्त ही निरस्त करने हेतु सक्षम है। 90बी की कार्यवाही को निरस्त कराये बिना दावा किसी भी न्यायालय में पोषणीय नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वयनामा सन् 1969 में विवादित आराजी को क्रय किया है। वादीगण की ओर से दावा लगभग 39 वर्ष बाद पेश किया है। मूल वयनामा पेश किया है जिसमें वादीगण के पूर्व पुरूष की जाति मुसलमान अंकित है। जाति से मुसलमान व्यक्ति को कभी भी अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नही किया गया है। अतः दावा वादीगण विधि से बाधित व क्षेत्राधिकार ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कानूनी नजीर आरआरडी 1994 पेज 177, आरआरडी 1995 पेज 434, डीएनजे 208 राज.उ.न्या. पेज 513, आरआरटी 2006–07 HC पेज 606, सी.पी.सी. आदेश 14 नियम 2 उपनियम 2, निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रकरण रामबेटी बनाम किशनलाल दिनांक 27.11.18, डीएनजे 2014 (।।।) राज. पेज 1105, धारा 90 उपनियम 10एलआर एक्ट, आरआरटी 2006 (।।) पेज 962 धारा 304 नगर पालिका अधिनियम , सूची अन्तरण वावत विवादित आराजी, छायाप्रति आवासीय पट्टा विवादित आराजी, डीएनजे 2018 (REV) पेज 13 तथा प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 25, 26, 113 2070 से 2073 वाके ग्राम फतिहाबाद पेश की।

नगर परिषद् धौलपुर की ओर से उनके अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि नगरपरिषद् धौलपुर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिसे वादीगण द्वारा प्रकरण पक्षकार भी बनाया गया है। वादीगण द्वारा दावा दायरी से पूर्व नगर पालिका को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस नही दिया गया है। जो विधि विरूद्ध है। अतः दावा वादीगण विधि से विपरीत होने के कारण खारिज किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

वकील वादी/अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। उनके द्वारा जवाब में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया कि विवादित जमीन उनके पूर्वजो की जमीन है उनके निधन उपरान्त वादीगण उनके वारिश है। उनके पूर्व पुरूष खुदावक्श व खचेरा अनुसूचित जाति से थे। सेटलमेन्ट बिभाग ने सम्वत् 2028 में विवादित जमीन हमारे नाम से हटाकर विनोद शंकर के नाम कर दिया। विवादित जमीन विनोद शंकर के नाम बेचान से नही आई है। यदि बेचान से आई होती तो प्रतिवादीगण ने म्यूटेशन की नकल पेश नही की है। वयनामा वैध नही है क्योंकि सैटलमेन्ट तक पूर्व पुरूष गैर खातेदार दर्ज थे। वयनामा सम्वत् 2026 का है। केवल 90बी की कार्यवाही होने से भूमि आबादी भूमि नही मानी जा सकती जब तक विधिवत रूपान्तरण ना हुआ हो। यदि बिना विधिवत् रूपान्तरण कराये भूमि को आबादी भूमि माना जाता है तो नगर पालिका को करोडो रूपये का नुकसान होगा। वर्तमान में जो मकान बने हुए है वह मूल प्रतिवादीगण के ऐजेन्ट है उन्हे पक्षकार प्रकरण बनाया जाना आवश्यक नही है। राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर पक्षकार नही है बल्कि राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर पक्षकार बनाया है जिसके लिए नोटिस 80 सीपीसी को प्रेषित किया जाना आवश्यक नही है। नगर पालिका अधिनियम के तहत 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। जवाब में आपत्ति किये जाने के उपरान्त ही नगर पालिका को नोटिस अन्तर्गत धारा 80सीपीसी दिया गया है परन्तु नगर परिषद् द्वारा कोई जवाब नही दिया गया है। जहां तक क्षेत्राधिकार की बात है तो क्षेत्राधिकार का बिन्दु न्यायालय को तय करना है। क्षेत्राधिकार केवल कानूनी बिन्दु नही है क्षेत्राधिकार साक्ष्य एंव कानून के आधार पर तय किया जाना है। जिसका निर्धारण इस प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जाना न्याय संगत नही है। मूल दावा स्वत्व घोषणा हेतु पेश किया गया है जो वाद में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त तनकीयात के निष्कर्ष के उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है। कब्जा का विवाद विधि एंव तथ्य का प्रश्न है जो साक्ष्य के बाद ही तय होगा। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2(11) जा.दी. खारिज फरमाये जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। वादीगण ने प्रकरण में नगर पालिका को पक्षकार बनाया गया है। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नजीर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 पेज संख्या 297 से स्पष्ट है कि दावा दायरी से पूर्व नगर पालिका को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जो उनके द्वारा दावा दायरी के पश्चात् दिया गया है। प्रार्थीगण ने विवादित आराजी की दावा दायरी से पूर्व ही 90बी की कार्यवाही होने के उपरान्त भूमि नगर पालिका के नाम रिकॉर्ड में इन्द्राज होने तथा भूमि को आबादी भूमि होना बताते हुए दावा विधि से बाधित बताया है। वादीगण के द्वारा इस कथन का खण्डन करते हुए क्षेत्राधिकार को साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किये जाने का कथन किया गया है। तथा सिर्फ 90बी कार्यवाही के आधार पर जब तक विधिवत भूमि रूपान्तरण ना हो तब तक भूमि को आबादी भूमि नही माना जाना कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खाता संख्या 25, 26, 113 सम्बत् 2070 से 2073 वाके ग्राम फतिहाबाद में भूमि खसरा नम्बर 382, 383, 399, 400, 401, 402 नगर परिषद्/पालिका धौलपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नही है तथा अप्रार्थी/वादी का यह कथन कि "वर्तमान में जो मकान बने हुए है वह मूल प्रतिवादीगण के ऐजेन्ट है" से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर मौके पर आबादी बसी है। राजस्थान

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207(बी) के अनुसार राजस्व न्यायालयों को आबादी भूमि को सुनने का अधिकार नही है। हालांकि विवादित भूमि के शेष खसरा नम्बर 384, 397, 398 नगर पालिका के नाम दर्ज नही है। मगर विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो के अनुसार यदि किसी प्रकरण में कुछ भूमि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की हो तथा कुछ भूमि दीवानी न्यायालय क्षेत्राधिकार की हो जैसा कि इस प्रकरण में है तो उस समस्त भूमि के वावत सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी दीवानी न्यायालय को ही माना गया है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर दावा वादीगण विधिक रूप से बाधित पाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दावा वादी सुनवाई का अधिकार ना होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2(11) जा.दी. पर विचार करने का कोई औचित्य नही है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार ना होने के कारण दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय से चाराजोही हेतु स्वतन्त्र है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत :– उपखण्डाधिकारी धौलपुर
पीठासीन अधिकारी – भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्याः– 68 / 2016
उनवानः–

1. नबाब पुत्र सकूरी जाति भाड निवासी जमुना बृज नगला फूतरी नई आबादी आगरा
2. छोटे पुत्र सकूरी । जाति भाड शीतल खां गली नम्बर 7 सद्दीक परचुने वाले
3. राजू पुत्र सकूरी । फिरोजाबाद तहसील व जिला फिरौजाबाद
4. रहीसी पुत्री सकूरी पत्नि आविद । जाति भाड निवासी विलास खां मौहल्ला
5. रस्सो वेवा सकूरी जाति भाड । भाडेर जिला दतिया (म.प्र.)
   निवासी शीतल मां गली नं. 7 ।
   सद्दीक परचुने वाले फिरोजाबाद
6. सुज्जा पुत्र खचेरा पत्नि मौहम्मद जाति भाड निवासी भाडो वाली गली अहीर टोला जसबन्त नगर तहसील व जिला इटावा (उ0प्र0)——————————————वादीगण

बनाम

1. दीपक पुत्र विनोद शंकर जाति ब्राम्हण निवासी मौहल्ला खिडकी पुराना शहर धौलपुर
2. श्यामादेवी पत्नि विनोद शंकर
3. राजीव । पिसरान ओमप्रकाश जाति माथुर वैश्य निवासी पुराना शहर धौलपुर
4. विवेक । तहसील व जिला धौलपुर
5. रामखिलाडी ।
6. शंकर । पिसरान आछेलाल जाति कुम्हार निवासी पुराना शहर तहसील
7. हरीसिंह । तहसील व जिला धौलपुर
8. भगवानसिंह ।
9. बीधा पुत्र सिविया जाति कुम्हार निवासी कुम्हार पाडा धौलपुर
10. राजेन्द्र पुत्र प्यारे । जाति कुम्हार निवासी महात्मानंद की वगीची के पास
11. कुन्दन पुत्र प्यारे । कुम्हार पाडा पुराना शहर धौलपुर
12. रामजीलाल पुत्र मूलाराम जाति प्रजा ाति निवासी वेदलपाडा सरमथुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
13. नगरपालिका मण्डल धौलपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल धौलपुर
14. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर——————————————प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा,
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ व हाजरी श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट मिनजानिव वादी, श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट मिनजानिव प्रतिवादी संख्या 7,8 व 12, श्री योगेश शर्मा एडवोकेट मिनजानिव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव श्री जयसिंह परमार एडवोकेट मिनजानिव प्रतिवादी संख्या 13 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.06.2019 को जारी की गई।

(भंवरलाल कांसोटिया)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)